If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making a recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation);— 1. Director (Extension & Training) National Institute of Sugarcane and Sugar Technology, Mau—Chairman. 2. Head of Division/Section National Institute of Sugarcane and Sugar Technology, Mau—Member. 3. Senior Administrative Officer National Institute of Sugarcane and Sugar Technology, Mau—Member.	Not applicable."

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 77 dated 17th January 1996 (published on 10th February 1996).

[File No. A—12018/1/94—SD.I/US]
ARVIND SURI, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1996

सा. का. नि. 337.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (इमेजिंग सर्विस) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (इमेजिंग सर्विस) भर्ती नियम, 1966 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (इमेजिंग सर्विस)	1* (1996) *कार्यभार के आधारपर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	2000-60-2300-द. रो. 75-3200-100-3500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : 1. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने 1640-2900 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है; या (3) जिन्होंने 1600-2660 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से विकिरण चिकित्सा विज्ञान में डिप्लोमा या समतुल्य ; (2) इमेजिंग सर्विस विभाग में इमेजिंग कार्य का दो वर्ष का अनुभव। 2. ऐसा विभागीय ज्येष्ठ रेडियोग्राफर (पर्यवेक्षक) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या ऐसा ज्येष्ठ रेडियोग्राफर (पर्यवेक्षक) जिसने ज्येष्ठ रेडियोग्राफर (पर्यवेक्षक) और रेडियोग्राफर (पर्यवेक्षक) की श्रेणियों में कुल मिलाकर 5 वर्ष नियमित सेवा की है, के संबंध में अन्य बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता

12

है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जएगा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियक्ति पर नियुक्ति के लिए, विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगें। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगें। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

(विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
... नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फाइल सं. ए. 12018/7/92—आर आर (एच)]

चन्द्र भान, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th July, 1996

G.S.R. 337.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Technical Officer (Imaging Service) in the Safdarganj Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Safdarjang Hospital (Junior Technical Officer) (Imaging Service) Recruitment Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Junior Technical Officer (Imaging Service)	1(one)* (1996) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissiable under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Education and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentages of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grade from which promotion/transfer to be made
10	11	12
Nil	Promotion/Transfer on Deputation.	Promotion/Transfer on Deputation; (I) Officers under the Central Government; (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years regular service in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; or (iii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 1600-2660 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Diploma in Radiology from a recognised University/Institution or equivalent; and (ii) 2 years' experience of imaging work in a department of imaging services. (II) The Departmental Senior Radiographer (Supervisor) with 3 years' regular service in the grade or Senior Radiographer (Supervisor) with 5 years' combind regular service in the grades of Senior Radiographer (Supervisor) and Radiographer (Supervisor) will also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission necessary.

[No. A.12018/7/92—RR(H)]
CHANDER BHAN, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1996

सा.का.नि. 338 :— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह "क", और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1996 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख प्रवृत्त होंगे ।

2. खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1980 की अनुसूची में, ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	(6क)
24इ ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक	1* (1996) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1640-60-2660-द. रो.-75-2900 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । टिप्पण :— आयु सीमा अवधारित करने के लिए तारीख भारत में आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड/अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	लागू नहीं होता

7	8	9
आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य ; (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में बेचलर डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा या समतुल्य ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	दो वर्ष